



राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक: एफ 13 ( )मु.अनुप्रति कोचिंग/पोर्टल/सान्याअवि/2023/ 5750

जयपुर, दिनांक: 20/4/23

### आदेश

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए कोचिंग संस्थाओं में कोचिंग करने हेतु वर्ष 2023-24 के लिए अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाने हेतु पूर्व निर्धारित तिथियों में परिवर्तन किया जाता है :-

क्र.सं.	विषय वस्तु	पूर्व में निर्धारित तिथि	संशोधित अन्तिम तिथि
1	कोचिंग करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अंतिम तिथि	06 अप्रैल से 2023 से 20 अप्रैल 2023 तक	30 अप्रैल 2023

योजनान्तर्गत पात्र अभ्यर्थी कोचिंग किये जाने हेतु अपने आवेदन sso portal (<https://sso.rajasthan.gov.in>) द्वारा SJMS SMS APP पर ऑनलाईन किये जा सकते हैं।

योजना एवं पात्रता का विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट [www.sje.rajasthan.gov.in](http://www.sje.rajasthan.gov.in) पर प्रदर्शित है।

(हरि मोहन मीना)

निदेशक एवं सयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ 13 ( )मु.अनुप्रति कोचिंग/पोर्टल/सान्याअवि/2023/ 5751-56 जयपुर, दिनांक: 20/4/23  
प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं सयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास), सान्याअवि, जयपुर।
5. उपनिदेशक (प्रचार), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि समाचार पत्रों में प्रेस नोट जारी करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार पोर्टल पर आवश्यक संशोधन सुनिश्चित करें।

(प्रहलाद सहाय नागा)  
अतिरिक्त निदेशक  
(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)

R

Shot on Realme 2